



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 7892 वर्ष 2026

22.05.2026 को सुरक्षित रखा गया

03.08.2026 को सुनाया गया

नलिन कुमार मेहता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : कमरुल हसन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अमोद पांडे, जितेंद्र कुमार नायक, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कमरुल हसन की ओर से ब्रीफ धारण करने वाले अधिवक्ता श्री दुर्गविजय सिंह, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अमोद पांडेय तथा राज्य की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और से विद्वान ए.जी.ए. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, बी.एन.एस.एस.) की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा दिनांक 26.01.2025 की आरोप-पत्र तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा वाद संख्या 352/IX वर्ष 2026 (राज्य बनाम नलिन कुमार मेहता) में दिनांक 12.01.2026 को पारित संज्ञान-सह-समन आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद मुकदमा अपराध संख्या 1074 वर्ष 2024, धारा 316(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., थाना-कोतवाली नगर, जिला बांदा से उत्पन्न हुआ है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियोजन के अनुसार आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि वह प्रथम सूचनाकर्ता के घर आया और अपने भूखंड को फ्रीहोल्ड कराने के लिए ₹16.50 लाख की मांग की तथा इसके बाद उसने प्रथम सूचनाकर्ता के पक्ष में उक्त भूखंड को बेचने का प्रस्ताव दिया। इस पर प्रथम सूचनाकर्ता ने अभियुक्त को उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया और जब प्रथम सूचनाकर्ता ने धनराशि वापस करने के लिए कहा, तब अभियुक्त ने अपने पुत्र के माध्यम से उसे एक चेक दिया, जिसे बैंक में प्रस्तुत किया गया और वह अनादरित हो गया। इसके बाद अभियुक्त किसी न किसी बहाने से बार-बार समय मांगता रहा और इसी बीच उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जानकारी हुई कि उसने भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है और वह विवादित भूखंड का एकमात्र स्वामी भी नहीं था। तत्पश्चात प्रथम सूचनाकर्ता अभियुक्त के पास गया और धनराशि वापस करने के लिए कहा, जिस पर उसने प्रथम सूचनाकर्ता को गाली दी और धमकी दी। इस सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच के बाद आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और आवेदक को समन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चेक के अनादरण के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दायर शिकायत पहले ही खारिज की जा चुकी है। अतः यह आपराधिक कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा अपराध किया गया है और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत इस बीच प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण खारिज हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जिस विवाद का उल्लेख कर रहा है, उसका संबंध विवादित भूमि से नहीं है। आवेदक ही विवादित संपत्ति का एकमात्र स्वामी न होते हुए भी प्रथम सूचनाकर्ता से धनराशि लेकर उसका दुरुपयोग कर गया। और जब उससे धनराशि वापस करने के लिए कहा गया, तब उसने गाली दी और धमकी दी। अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक अपराध बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से की गई अन्य दलीलें तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, जिनके लिए साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है, जो इस कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। अतः इस आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों के दृष्टिगत तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात यह विवादित नहीं है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 316(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत की गई है और संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है। प्रथम सूचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं। आरोप यह है कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता को अपना भूखंड फ्रीहोल्ड कराने के बाद उसे बेचने का प्रस्ताव दिया, जबकि वह उसका अनन्य स्वामी नहीं था, और प्रथम सूचनाकर्ता से धनराशि ले ली। इसके बाद उसने न तो धनराशि वापस की और न ही विक्रय विलेख निष्पादित किया तथा धनराशि की मांग किए जाने पर प्रथम सूचनाकर्ता को गाली दी और धमकी दी।

7. यह स्थापित विधि है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें दीवानी और आपराधिक दोनों तत्व विद्यमान हों। अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2006 (5) ए.डी.जे 280 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल इस कारण कि दीवानी दावा पोषणीय है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपराधिक शिकायत पोषणीय नहीं हो सकती। प्रासंगिक पैरा संख्या 51, 52 और 55 नीचे उद्धृत हैं:-

“51. एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह और अन्य, (2001) 8 एससीसी 645 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी मामले के विशिष्ट तथ्य दीवानी दावा उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही अपराध भी बन सकते हैं। केवल इसलिए कि कोई दीवानी दावा पोषणीय है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपराधिक शिकायत पोषणीय नहीं हो सकती। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला कोई विधि-सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होगी तथा करार में सम्मिलित नियमों और शर्तों पर विचार करना होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



52. एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह और अन्य, (2001) 8 एससीसी 645 में इस बिंदु पर अनेक प्राधिकारों पर विचार करने के बाद यह बताया गया कि दस्तावेजों के संबंध में केवल दीवानी वाद दायर किया जाना आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया:-

"ऐसे सामान्य सिद्धांत को मानना कानून के प्रावधानों के खिलाफ होगा, क्योंकि धोखाधड़ी और जालसाजी के सभी मामलों में, पूरे लेन-देन में, आमतौर पर कुछ हद तक सिविल प्रकृति का तत्व होता है। हालाँकि, इस मामले में आरोप दस्तावेजों में हेराफेरी करने और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करने के बारे में थे। केवल इसलिए कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रतिवादियों ने उक्त दस्तावेजों के संबंध में एक सिविल मुकदमा दायर किया था। आपराधिक अदालत में शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से साबित करना होता है, भले ही सिविल अदालत ने उस पर कोई फैसला सुनाया हो। यदि शिकायतकर्ता शिकायत में लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहता, तो प्रतिवादी आरोप-मुक्त या बरी होने के हकदार होते, अन्यथा नहीं।" अगर किसी केस के सिर्फ पेंडिंग होने को ही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार बना दिया जाए, तो बेईमान मुकदमेबाजों को बढ़ावा मिलेगा। वे अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के बाद या ऐसी कार्यवाही की आशंका में, उन दस्तावेजों को लेकर मुकदमे दायर करेंगे जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाना है, ताकि न्याय और कानून की प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके। कानून का मकसद ऐसा तरीका अपनाना नहीं हो सकता। आपराधिक मामलों से अलग, दीवानी मामलों का फैसला और निपटारा अलग-अलग पैमानों के आधार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर किया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने की ज़िम्मेदारी दीवानी मामलों में लागू नहीं होती; दीवानी मामलों का फ़ैसला सिर्फ़ उन कामों से जुड़ी संभावनाओं के आधार पर किया जा सकता है जिनकी शिकायत की गई है... जहाँ शिकायत में अपराध के लिए ज़रूरी तथ्यों का ज़िक्र किया गया हो, वहाँ हाईकोर्ट को सिर्फ़ इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए कि एक-दो बातें विस्तार से नहीं बताई गई हैं या बताई गई बातों से पार्टियों के बीच कमर्शियल या पैसों के लेन-देन का पता चलता है।" (ज़ोर दिया गया)।

55. अतः, उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी मामले में दीवानी के साथ-साथ आपराधिक दायित्व भी हो सकता है और न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करनी होती है। पक्षकारों के बीच हुए करार की प्रकृति तथा उसमें सम्मिलित नियम और शर्तें निर्णायक कारक होंगी। तथापि, ऐसी प्रक्रिया वहाँ अनुमन्य है जहाँ मामला ऐसी प्रकृति का हो जिसे केवल दीवानी न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता हो और उसमें आपराधिक विधि का कोई तत्व सम्मिलित न हो।"

8. वर्तमान मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि इसमें आपराधिक तत्व विद्यमान है। आवेदक की ओर से उठाए गए बिंदु तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनके लिए साक्ष्य का मूल्यांकन और आकलन आवश्यक है। ऐसा इस कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना लघु विचारण (मिनी ट्रायल) करने के समान होगा।

9. यह न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता और आवेदक की ओर से उठाए गए विवादित तथ्यों के संबंध में कोई राय नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बना सकता, क्योंकि यह विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों में यदि कोई विरोधाभास है, तो उसका प्रभाव भी विचारण न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया, दीवानी मामले का लंबित होना भी वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं डालता। समग्र रूप से, आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं और उपर्युक्त के दृष्टिगत इस मामले में इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का कोई उचित आधार नहीं है।

10. उल्लेखनीय है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत अधिकांश तर्क तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं। ऐसे मुद्दों के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यात्मक सामग्री का मूल्यांकन आवश्यक है। धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस न्यायालय का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार सीमित है और इसका उद्देश्य विवादित तथ्यात्मक मामलों का निर्णय करना अथवा इस प्रारंभिक चरण में आरोपों की सत्यता निर्धारित करना नहीं है। ये ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पक्षकारों द्वारा अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद इनकी जांच की जानी है। वर्तमान कार्यवाही में यह न्यायालय जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य की जांच या उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना लघु विचारण (मिनी ट्रायल) करने के समान होगा, जो विधि में अनुमन्य नहीं है।

11. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता है। अतः यह आवेदन गुणरहित है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



03 अगस्त, 2026

आदित्यजी

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!